

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2005

का. नि. आ. 88.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयुध और आयुध उपस्कर निर्माणी समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक पद (भर्ती और सेवा की दशाएं) नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी संगठन के आयुध और आयुध उपस्कर फैक्टरी और अन्य कार्यालयों एवं स्थापनों में कतिपय समूह 'ख' तथा समूह 'ग' और समूह 'घ' अर्द्धचिकित्सीय (अनौद्योगिक/अराजपत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध तथा आयुध उपस्कर फैक्टरी समूह 'ख' तथा समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक (अर्द्धचिकित्सीय) पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध संलग्न अनुसूची के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,
या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. मैट्रन	45* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन अनौद्योगिक समूह 'ख' अराजपत्रित	6500-200- 10,000 रुपये	चयन	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
---	--	--	-------------------------------

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
--	---

11	12
केवल प्रोन्नति द्वारा	5500-9000 रु. के वेतनमान में ऐसी ज्येष्ठ नर्स श्रेणी-I, 5500-9000 रु. के वेतनमान में ऐसी लोक स्वास्थ्य नर्स और 5500-9000 रु. के वेतनमान में ऐसी स्टाफ नर्स की श्रेणियों से 10:2:1 के अनुपात में प्रोन्नति द्वारा जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	---

13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन :— (क) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (ख) उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (ग) उप सचिव/अवर सचिव रक्षा मंत्रालय	नियमों के किसी उपबंध को संशोधित और शिथिल करने के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

1	2	3	4	5	6
2. ज्येष्ठ नर्स श्रेणी-1	90* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित	5500-175-9,000 रुपये	चयन	नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

2363 GI/05-5

11	12				
प्रोन्नति द्वारा	5000-8000 रु. के वेतनमान में ज्येष्ठ नर्स श्रेणी-II, में से प्रोन्नति द्वारा जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।				
13	14				
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन :—	नियमों के किसी उपबंधों को संशोधित और शिथिल करने के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।				
(क) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	—अध्यक्ष				
(ख) उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	—सदस्य				
(ग) उप सचिव/अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य				
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ नर्स	9* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित	5500-175-9,000 रुपये	चयन	नहीं
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता		
11	12				
प्रोन्नति द्वारा	5000-8000 के वेतनमान में ऐसी ज्येष्ठ नर्स-II में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवाएं की हैं।				
13	14				
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन :—	नियमों के किसी उपबंध को संशोधित और शिथिल करने के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।				
(क) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा	—अध्यक्ष				
(ख) उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा	—सदस्य				
(ग) उप सचिव/अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य				
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. लोक स्वास्थ्य नर्स	17* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित	5500-175-9,000 रुपये	चयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	5000-8000 रुपये के वेतनमान में ऐसी ज्येष्ठ नर्स-II में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवाएं की हैं।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन :—	नियमों के किसी उपबंध में संशोधित करने/शिथिल करने के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(क) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा	—अध्यक्ष
(ख) उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा	—सदस्य
(ग) उप सचिव/अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. ज्येष्ठ नर्स श्रेणी-II	191* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	5000-150-8,000 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक :	नहीं	दो वर्ष

(सरकारी कर्मचारियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

- (i) 10+2 या समतुल्य परीक्षा विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण।
- (ii) अभ्यर्थी के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यताप्राप्त नर्सिंग स्कूल या अन्य संस्था से जनरल नर्सिंग तथा मिडवाइफरी कोर्स उत्तीर्ण करने पर नर्स तथा मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाणपत्र रखता हो।
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 1 वर्ष आपरेशन थियेटर में हो।

(8)

(iv) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो।

वांछनीय :

(i) लोक स्वास्थ्य नर्सिंग में मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

(ii) हिंदी और स्थानीय भाषा का ज्ञान।

ऐसे भूतपूर्व सेना चिकित्सा कोर के अफसरों को अधिमान दिया जाएगा, यदि अर्हतानुसार उपयुक्त हैं।

(11)	(12)	(13)	(14)
सीधे भर्ती द्वारा	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. मिडवाइफ	73 * (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	3200-85-4,900 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	आवश्यक : (i) 10+2 या समतुल्य परीक्षा विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण हो। (ii) मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का सहायकी नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स और संबंधित नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत हो। (iii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हो। वांछनीय : हिंदी तथा स्थानीय भाषा का ज्ञान।	नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)	(13)	(14)
सीधे भर्ती द्वारा	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. रेडियोग्राफर	34 * (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	4,500-125-7,000 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	गैरभूतपूर्व सैनिक के लिए : 10+2 या समतुल्य परीक्षा विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से रेडियोग्राफी में तीन वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट हो। वांछनीय : किसी अस्पताल या किसी अर्हित चिकित्सा विज्ञानी के अधीन रेडियोग्राफी में कम से कम 6 महीने का अनुभव प्राप्त किया हो तथा कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हो। या भूतपूर्व सैनिक के लिए : जिन्होंने अद्यतन संशोधित ए.आई. 39/एस/47 के अन्तर्गत यथा परिभाषित वर्ग-I वर्ग-II समूह (क) के अधीन रेडियोग्राफर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् रेडियोग्राफर के रूप में कार्य किया हो।	नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)	(13)	(14)
सीधे भर्ती द्वारा	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. फार्मासिस्ट	276* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	4,500-125-7,000 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
32 वर्ष	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 या समतुल्य परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण हो। (ii) अभ्यर्थी के पास फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स 3 महीने की ट्रेनिंग के साथ उत्तीर्ण करने पर फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र रखता है। वांछनीय : कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो।	नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)	(13)	(14)
सीधे भर्ती द्वारा	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

2363 GI/05-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. प्रयोगशाला तकनीशियन	43 *(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग', अननुसचिवीय	4,500-125-7,000 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से जीव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीव विज्ञान बी.एससी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। (ii) मान्यताप्राप्त संस्था से (आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला तकनीक) (डी.एम.एल.टी.) में डिप्लोमा प्राप्त हो। (iii) आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो। (iv) कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हो।	नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)	(13)	(14)
अधिशेष के समायोजन और आनेलन के पश्चात् प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे रक्तदान सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने इस श्रेणी में आयुध निर्माणी संगठन में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय समिति का गठन :— (क) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी —अस्पताल प्रभारी (ख) अपर महाप्रबंधक/संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) (ग) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. आपरेशन कक्ष तकनीशियन	1*(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	4,500-125-7,000 रुपये	चयन-सह-वरिष्ठता	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	नहीं

(11)	(12)	(13)	(14)
केवल प्रोन्नति द्वारा	ऐसे आपरेशन कक्ष सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आयुध निर्माणी संगठन में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन :— (क) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी —अस्पताल प्रभारी (ख) अपर महाप्रबंधक/संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) (ग) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. आपरेशन कक्ष सहायक	19*(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रुपये	चयन-सह-वरिष्ठता	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

(11)	(12)	(13)	(14)
केवल प्रोन्नति द्वारा	ऐसे चिकित्सा सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आयुध निर्माणी संगठन में 4 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय समिति का गठन :— (क) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी —अस्पताल प्रभारी (ख) अपर महाप्रबंधक/संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) (ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. वार्ड मास्टर	17*(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4,590 रुपये	चयन-सह-वरिष्ठता	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

(11)	(12)	(13)	(14)
केवल प्रोन्नति द्वारा	ऐसे चिकित्सा सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आयुध निर्माणी संगठन में 4 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन :— (क) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी —अस्पताल प्रभारी (ख) अपर महाप्रबंधक/संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) (ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. रक्ताधान सहायक	10*(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4,590 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
32 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल जा सकती है)	आवश्यक : (i) 10+2 या समतुल्य परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण हो। (ii) मान्यताप्राप्त संस्था से (आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला तकनीक) में डिप्लोमा। (iii) कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो। वांछनीय: किसी अस्पताल में रक्तदान सहायक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव या भूतपूर्व सैनिकों के लिए समतुल्य अर्हता।	नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)	(13)	(14)
सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. एंबुलेंस ड्राइवर श्रेणी-I	42 *(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिपीय	4500-125-7000 रुपये	चयन-सह-वरिष्ठता	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

(11)	(12)	(13)	(14)
केवल प्रोन्नति द्वारा	ऐसे एंबुलेंस ड्राइवर श्रेणी-II में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आयुध निर्माणी संगठन में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के बाद आमेलन द्वारा	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन :— (क) उपर महाप्रबंधक/संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) (ख) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल प्रभारी (ग) उप महाप्रबंधक/कार्यप्रबंधक	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. एंबुलेंस ड्राइवर श्रेणी-II	53 *(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिपीय	4000-100-6,000 रुपये	चयन एवं वरिष्ठता	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

(11)	(12)	(13)	(14)
सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे एंबुलेंस ड्राइवरों (सामान्य श्रेणी) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आयुध निर्माणी संगठन में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के बाद आमेलन द्वारा।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन :— (क) अपर महाप्रबंधक/संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) (ख) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी—अस्पताल प्रभारी (ग) उप महाप्रबंधक/कार्यप्रबंधक	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. एंबुलेंस ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	120 *(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4,590 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल जा सकती है)	आवश्यक : (i) मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। (ii) ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। (iii) रख-रखाव और छोटे मोटे मरम्मतों का ज्ञान। (iv) प्राथमिक उपचार का प्रारंभिक ज्ञान। वांछनीय: हल्के/भारी यानों को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव	नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)	(13)	(14)		
सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. चिकित्सा सहायक	369 *(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'घ' अननुसचिवीय	2610-60-3150-65-3540 रुपये	चयन एवं वरिष्ठता	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल जा सकती है)	गैर भूतपूर्व सैनिक : (i) इंटरमीडियट या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था/सेंट जोन्स एंबुलेंस से प्राथमिक उपचार संबंधी हिदायतों का प्रशिक्षण लिया हो। (iii) प्राथमिक उपचार का ज्ञान। (iv) आपरेशन थियेटर तथा विसंक्रमण प्रक्रिया का ज्ञान।	नहीं	दो वर्ष

(8)

भूतपूर्व सैनिक :

चिकित्सा कोर अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्
सशस्त्र बल में नर्सिंग सहायक के रूप में कार्य किया हो।

वांछनीय :

कम्प्यूटर का प्रारंभिक कार्यसाधक ज्ञान।

(11)	(12)	(13)	(14)
अधिशेष के समायोजन तथा समावेशन के पश्चात् प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसे वार्ड सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आयुध निर्माणी संगठन में 2 वर्ष नियमित सेवा की है। ऐसे व्यक्तियों में से आमेलन द्वारा जिनके पास स्तंभ 8 में दी गई अर्हता है।	समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (क) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी — अस्पताल प्रभारी (ख) संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/कार्य प्रबंधक (प्रशासन) (ग) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक चिकित्सा अधिकारी	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. वार्ड, सहायक	155 *(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'घ' अननुसूचित वर्ग	2550-55-2660-60-3200 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल जा सकती है)	(i) कक्षा 10 या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (ii) प्राथमिक उपचार, नर्सिंग तथा वार्ड प्रक्रिया का ज्ञान।	नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)	(13)	(14)
सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

एस. आर. ओ. पर टिप्पण

टिप्पण 1 :— ऊपर अनुसूची के स्तम्भ 2 में उपदर्शित पदों की संख्या में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

टिप्पण 2 :— जहां अन्यथा उपदर्शित है उसके सिवाय स्तम्भ 7 के अधीन उपदर्शित आयु सीमा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण 3 :— इस अनुसूची के स्तम्भ 11 में जहां जहां "अधिशेष का समायोजन" शब्द आते हैं वहां ऐसे व्यक्तियों की प्रबंधन द्वारा लोकहित में नियुक्ति अभिप्रेत है, जो किसी फैक्टरी या कार्यालय में अथवा आयुध निर्माणी संगठन में पहले से ही वही या समान या लगभग समतुल्य वेतनमान में पदों पर कार्य कर रहे हैं, जिन्हें प्रबंधन द्वारा व्यक्तियों या उनके द्वारा धारित पदों के अधिशेष पाए जाने के परिणामस्वरूप सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समायोजित करना आवश्यक है।

टिप्पण 4 :— इस अनुसूची के स्तम्भ 11 या स्तम्भ 12 में जहां-जहां "आमेलन" शब्द आते हैं वहां प्रबंधन द्वारा लोकहित में ऐसे व्यक्तियों का (जो उसी या उसके समरूप या लगभग वेतनमान में पहले से ही कार्य कर रहे हैं) आयुध निर्माणी संगठन में उसी फैक्टरी या कार्यालय में आमेलन और जहां सम्बद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर प्रबंधन ने सहमति दे दी हो वहां उसी फैक्टरी या कार्यालय के भीतर आमेलन भी अभिप्रेत होगा। लोकहित में आमेलन के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के आमेलन द्वारा पद भरा जाना भी शामिल है जो ऐसे पद धारण कर रहे हैं जिनसे किसी अन्य पद या श्रेणी में प्रोन्नति नहीं है चाहे ऐसे पद समतुल्य पद घोषित किए गए हैं या नहीं और आमेलन द्वारा ऐसी नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने से पहले की जा सकती हैं।

- टिप्पण 5 :—** 'प्रतिनियुक्ति' शब्द से समय-समय पर प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति अभिप्रेत है और सेवा में अत्यावश्यकता के होते हुए भी आयुध निर्माणी बोर्ड या फैक्टरी के महाप्रबंधक लोकहित में पूर्वोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद में प्रतिनियुक्ति पर आयुध निर्माणी संगठन के बाहर से उपयुक्त व्यक्तियों को ले सकता है।
- टिप्पण 6 :—** इस अनुसूची के स्तम्भ 12 या इन नियमों में किसी अन्यत्र जहां-जहां "व्यवसाय परीक्षण" अधिकथित है, वहां ऐसा "व्यवसाय परीक्षण" फैक्टरी के महाप्रबंधक या आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा विहित किया जाएगा। "व्यवसाय परीक्षण" पद के अन्तर्गत लिखित, मौखिक और व्यवहारिक परीक्षा तथा अभिरुचि परीक्षण और साक्षात्कार तथा कोई अन्य अर्हता परीक्षा भी है जिसके अंतर्गत शारीरिक स्तर परीक्षण तथा कानूनी अर्हता परीक्षण भी है।
- टिप्पण 7 :—** स्तम्भ 11 में जहां जहां "सुसंगत विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा तैयार किए गए पैन्ल" शब्द आते हैं और भर्ती चयन द्वारा की जाती है वहां इन शब्दों में गोपनीय रिपोर्ट के प्रति निर्देशों से केवल योग्यता के आधार पर तैयार पैन्ल और जहां कहीं कारखाने के महाप्रबंधक या आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा चयन के हित में ऐसा व्यवसाय परीक्षण बांछनीय समझा जाता है व्यवसाय परीक्षण के परिणामों के प्रतिनिर्देश से पैन्ल तैयार किया गया अभिप्रेत है।
- टिप्पण 8 :—** इस अनुसूची के स्तम्भ 12 में उपदर्शित प्रोन्नति सामान्यतया स्तम्भ 12 में उपदर्शित पोषक श्रेणी से होगी। किन्तु जहां दो या अधिक पोषक श्रेणियों को कारखाने के महाप्रबंधक या आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा "सहबद्ध श्रेणियां" घोषित किया जाता है वहां प्रोन्नति के लिए चयन सहबद्ध श्रेणियों में पात्र व्यक्तियों की सामान्य वरिष्ठता सूची से किया जाएगा।
- टिप्पण 9 :—** इन नियमों में "समतुल्य पद" शब्द और इन नियमों में उसके रूपभेद से अभिप्रेत होगा कि उसी या समरूप वेतनमान में कोई पद उसी या किसी अन्य नाम या पदनाम से और जिस पद को आयुध निर्माणी बोर्ड या फैक्टरी के महाप्रबंधक, समतुल्य पद के रूप में घोषित करें, और उन्हें अन्तरपरिवर्तनीय या स्ट्रोक (/) नियुक्तियां समझा जाएगा।
- टिप्पण 10 :—** इस अनुसूची के स्तम्भ 8 के अधीन विहित अर्हताओं के संबंध में इस प्रश्न का विनिश्चय कि क्या कोई अर्हता किसी पद के लिए विहित अर्हता के समतुल्य है आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- टिप्पण 11 :—** इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, आयुध निर्माणी बोर्ड उसके ओर से किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड के किसी सदस्य या अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणियों को प्राधिकृत कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग उक्त बोर्ड द्वारा किया गया समझा जाएगा।
- टिप्पण 12 :—** इन नियमों में "फैक्टरी का महाप्रबंधक" पद और उसके रूपभेदों के अंतर्गत ज्येष्ठ महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक और निदेशक, स्टाफ कालेज तथा अन्य स्थापनों के अध्यक्ष भी हैं, जिन्हें आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा फैक्टरी के महाप्रबंधक के समतुल्य घोषित किया गया है।
- टिप्पण 13 :—** इन अनुसूची के स्तम्भ 7 में जहां-जहां आयुसीमा अधिकथित है, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (अंदामान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप उनसे भिन्न) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। ऐसे पदों की बाबत जिस पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
- टिप्पण 14 :—** इन अनुसूची के स्तम्भ 12 में जहां-जहां न्यूनतम सेवा की कोई शर्त अधिकथित है और किसी कनिष्ठ कर्मचारी के बारे में उसके द्वारा उक्त न्यूनतम सेवा शर्त पूरी करने के आधार पर चयन के लिए विचार किया जाता है, वहां ऐसे सभी व्यक्ति जो उससे ज्येष्ठ हैं और जिन्होंने परीक्षा अवधि पूरी कर ली है इस बात के होते हुए भी कि वे उक्त न्यूनतम सेवा शर्त पूरी न करते हों, चयन के लिए विचार किए जाने के पात्र हों।
- टिप्पण 15 :—** एक ही वेतनमान में कुल पदों की संख्या में आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा समय-समय पर कार्यभार में परिवर्तन और कृत्यिक अपेक्षाओं के आधार पर विभिन्न पदाध्यानों और नामों या किसी वेतनमान के अधीन पदों में वृद्धि और कमी की जा सकती है।
- टिप्पण 16 :—** इस अनुसूची के पदों के पदधारी, कार्यात्मक आवश्यकता पर आधारित स्थानान्तरण होने पर एवं समय-समय पर आ.नि. बोर्ड द्वारा बनाई गई स्थानान्तरण नीति—दिशानिर्देशों के अनुसार आयुध निर्माणी संगठन की किसी भी निर्माणी या कार्यालय में सेवा करने के दायित्वाधीन हैं।

[फा. सं. 7(3)/2001/आई/डी/एफ वाई-1]

राजेन्द्र सूद, अवर सचिव

पाद टिप्पण :— आयुध तथा आयुध उपस्कर निर्माणी समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक पद (भर्ती और सेवा शर्त) नियम, 1989 का.नि.आ. 14(अ) तारीख 4-5-1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.नि.आ. 149 तारीख 26-7-1991, का.नि.आ. 70 तारीख 04-05-1994, का.नि.आ. 155 तारीख 06-09-1994, का.नि.आ. 109 तारीख 26-06-1999 और का.नि.आ. 185 तारीख 12-10-1999 द्वारा संशोधित किए गए।

New Delhi, the 3rd August, 2005

S.R.O. 88.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group C and Group D Non-industrial Posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group B, Group C and Group D Para-Medical (Non-industrial/Non-Gazetted) posts in the Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments under the Ordnance Factory Organisation under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group B, Group C and Group D Non-industrial (Para-Medical) posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matter connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that the marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these Rules.

5. Powers to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Matron	45* (2004) *Subject to variation dependent on work load.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial Group 'B' Non-Gazetted,	Rs. 6,500-200-10,500	Selection	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	No	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or absorption, grades from which promotion/deputation to be made
11	12
By promotion only.	By promotion from the grades of Senior Nurse Grade-I in the pay scale of Rs. 5500-9000, Public Health Nurse in the pay scale of Rs. 5500-9000 and Staff Nurse in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade in the ratio of 10 : 2 : 1

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
13	14
Composition of Group 'B' Departmental Promotion Committee: (a) Director Health Services/Additional Director Health Services (b) Deputy Director Health Services (c) Deputy Secretary/Under Secretary, M of D.	Consultation with the Commission is necessary for amending/relaxing any provision of the rules.

Note : Where juniors have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

1	2	3	4	5	6
2. Senior Nurse Grade-I	90* (2004) *Subject to variation dependent on work load.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'B', Non-Gazetted	Rs. 5,500-175-9,000	Selection	No
7	8			9	10
Not applicable	Not applicable			No	Not applicable

11		12			
Promotion		By Promotion from : Senior Nurse Grade-II in the Pay scale of Rs. 5000-8000 with three years regular service in the grade.			
13		14			
Composition of Group 'B' Departmental Promotion Committee:		Consultation with the Commission is necessary for amending/relaxing any provision of the Rules.			
(a) Director Health Services/Additional Director Health Services		—Chairman			
(b) Deputy Director Health Services		—Member			
(c) Deputy Secretary/Under Secretary, M of D.		—Member			
Note : Where juniors have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.					
1	2	3	4	5	6
4. Public Health Nurse	17 (2004) (Subject to variation dependent on workload)	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted,	Rs. 5,500-175-9,000	Selection.	No
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	No	Not applicable		
11		12			
Promotion		By Promotion from Senior Nurse Grade-II in the Pay scale of Rs. 5000-8000 with three years regular service in the grade.			
13		14			
Composition of Group 'B' Departmental Promotion Committee:		Consultation with the Commission is necessary for amending/relaxing any provision of the Rules.			
(a) Director Health Services/Additional Director Health Services		—Chairman			
(b) Deputy Director Health Services		—Member			
(c) Deputy Secretary/Under Secretary, M of D.		—Member			
Note : Where juniors have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.					
1	2	3	4	5	6
5. Senior Nurse Grade-II	191 *(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 5,000-150-8,000	Selection. by merit	No

7	8	9	10
Not exceeding 27 years (Relaxable upto 40 years in case of Govt. servants)	Essential : (i) Passed 10+2 or equivalent examination with Science subjects. (ii) Candidates should possess Certificate as Registered Nurse and Midwife having passed General Nursing and Midwifery course from a school of Nursing or other Institution recognised by the Indian Nursing Council. (iii) Minimum 2 years experience in a recognised hospital out of which 1 year in Operation Theatre. (iv) Must have working knowledge of computers. Desirable : (i) Possessing a recognised certificate in Public Health Nursing (ii) Knowledge of Hindi and local language. Preference may be given to Ex-Army Medical Corps officers if suitably qualified.	No	Two years

11	12
By direct recruitment	By direct recruitment
13	14
Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6
6. Midwife	73 *(2004) *Subject to variation dependent on work load.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 3,200-85-4,900	Selection by merit	No

7	8	9	10
Not exceeding 27 years (Relaxable upto 40 years in case of Govt. servants)	Essential : (i) Passed 10+2 or equivalent examination with Science subjects. (ii) Two years Auxiliary Nursing Midwife Course from a recognised Institution and registered with respective Nursing Council. (iii) Must have working knowledge of computers. Desirable : Knowledge of Hindi and local language.	No	Two years

11			12		
By direct recruitment			By direct recruitment		
13			14		
Not applicable			Not applicable		
1	2	3	4	5	6
7. Radiographer	34 *(2004) *Subject to variation dependent on work load.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 4,500-125-7,000	Selection by merit	No
7	8		9	10	
Not exceeding 27 years (Relaxable upto 40 years in case of Govt. servants).	For Non-Ex-Service Person : Passed 10+2 or equivalent examination with Science subjects and Three Years Diploma/ Certificate in Radiography from a recognised Institution. Desirable : At least 6 months experience in Radiography in a hospital or under any qualified Radiologist and working knowledge of Computers. OR For Ex-service personnel who has worked as Radiographer after qualifying as Radiographer under Group (A) Class-I and Class-II as defined under AI 39/S/47 as amended upto date.		No	Two years	
11			12		
By direct recruitment			By direct recruitment		
13			14		
Not applicable			Not applicable		
1	2	3	4	5	6
8. Pharmacist	276 *(2004) *Subject to variation dependent on work load.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 4,500-125-7,000	Selection by merit	No
7	8		9	10	
Not exceeding 32 years	Essential : (i) Passed 10+2 or equivalent with Science subjects from a recognised Institution.		No	Two years	

8

- (ii) Candidate should possess Certificate as Registered Pharmacist having passed two years diploma course with three months training in Pharmacy from an Institution recognised by the Pharmacy Council of India.

Desirable : Should have working knowledge of Computers.

11			12		
By direct recruitment			By direct recruitment		
13			14		
Not applicable			Not applicable		
1	2	3	4	5	6
9. Laboratory Technician	43 *(2004) *Subject to variation dependent on work load.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 45,00-125-7,000	Selection. by merit	No
7	8		9	10	
Not exceeding 27 years (Relaxable upto 40 years in case of Govt. servants)	Essential : (i) Passed B.Sc. with Biochemistry/Microbiology/Life Science or equivalent from a recognised Institution. (ii) Candidate should possess Diploma in Medical Laboratory Technology from a recognised Institution. (iii) Must possess at least one year experience in Medical Laboratory. (iv) Must have working knowledge of computers.		No	Two years	
11		12			
By promotion after adjustment of surplus and absorption failing which by direct recruitment		By promotion from Blood Transfusion Assistant with five years regular service in the grade in Ordnance Factory Organisation By absorption of Persons with qualification in Col. 8.			
13		14			
Composition of Group 'C' Departmental Promotion Committee :		Not applicable			
(a) Chief Medical Officer/Principal Medical Officer-in-charge of Hospital;					
(b) Additional General Manager/Jt. General Manager (Administration).					
(c) Principal Medical Officer/Senior Medical Officer.					

2363 GI/05-9

1	2	3	4	5	6
10. Operation Room Technician	1 *(2004) *Subject to variation dependent on work load.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 4,500-125-7,000	Selection-cum seniority	No
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	No	Not applicable		
11	12				
By promotion only	By promotion from Operation Room Assistant with five years regular service in the grade in Ordnance Factory Organisation				
13	14				
Composition of Group 'C' Departmental Promotion Committee :				Not applicable	
(a) Chief Medical Officer/Principal Medical Officer-in-charge of Hospital;					
(b) Additional General Manager/Jt. General Manager (Administration)					
(c) Principal Medical Officer/Senior Medical Officer					

1	2	3	4	5	6
11. Operation Room Assistant	19 *(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 3,050-75-3,950-80-4,590	Selection-cum seniority	No
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	No	Not applicable		
11	12				
By promotion only	By promotion from Medical Assistant with four years regular service in the grade in Ordnance Factory Organisation				
13	14				
Composition of Group 'C' Departmental Promotion Committee :				Not applicable	
(a) Chief Medical Officer/Principal Medical Officer-in-charge of Hospital;					
(b) Additional General Manager/Jt. General Manager (Administration)					
(c) Principal Medical Officer/Senior Medical Officer					

1	2	3	4	5	6
12. Ward Master	17 *(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 3,050-75-3,950-80-4,590	Selection-cum seniority	No
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	No	Not applicable		
11	12				
By promotion only	By promotion from Medical Assistant with four years regular service in the grade in Ordnance Factory Organisation .				
13	14				
Composition of Group 'C' Departmental Promotion Committee :			Not applicable		
(a) Chief Medical Officer/Principal Medical Officer-in-charge of Hospital;					
(b) Additional General Manager/Jt. General Manager (Administration) .					
(c) Principal Medical Officer/Senior Medical Officer					
1	2	3	4	5	6
13. Blood Transfusion Assistant	10 *(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 3,050-75-3,950-80-4,590	Selections by merit	No
7	8	9	10		
Not exceeding 32 years (Relaxable upto 40 years in case of Govt. servants)	Essential : (i) Passed 10+2 or equivalent examination with Science subjects. (ii) Diploma in Medical Laboratory Technology from a recognised Institution. (iii) Must have working knowlege of computers. Desirable : One year experience as Blood Transfusion Assistant in a Hospital or equivalent qualification for ex-servicemen.			No	Two years
11	12				
By direct recruitment	By direct recruitment				

13			14		
Not applicable			Not applicable		
1	2	3	4	5	6
14. Ambulance Driver (Grade-I)	42 *(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 4,500-125,000	Selection-cum seniority	No
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	No	Not applicable		
11	12				
By promotion only	By promotion from Ambulance Driver Grade-II with five years regular service in the grade in Ordnance Factory Organisation. By absorption on passing trade test.				
13			14		
Composition of Group 'C' Departmental Promotion Committee :			Not applicable		
(a) Additional General Manager/Jt. General Manager/ Deputy General Manager (Engineering)					
(b) Chief Medical Officer/Principal Medical Officer-in-charge of Hospital;					
(c) Deputy General Manager/Works Manager.					
1	2	3	4	5	6
15. Ambulance Driver (Grade-II)	53 *(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 4,000-100-6,000	Selection-cum seniority	No
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	No	Not applicable		
11	12				
By promotion only	By promotion from Ambulance Driver (Ordinary Grade) with eight years regular service in the grade in Ordnance Factory Organisation. By absorption on passing trade test.				

13			14		
Composition of Group 'C' Departmental Promotion Committee :			Not applicable		
(a) Additional General Manager/Jt. General Manager/ Deputy General Manager (Engineering)					
(b) Chief Medical Officer/Principal Medical Officer-in-charge					
(c) Deputy General Manager/Works Manager.					
1	2	3	4	5	6
16. Ambulance Driver (Ordinary Grade)	120 *(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 3,050-75-3,950-80-4,590	Selection by suitability	No
7	8		9	10	
Not exceeding 27 years. (Relaxable upto 40 years in case of Govt. servants)	Essential : (i) Passed Matriculation or equivalent examination. (ii) Must possess driving licence. (iii) Knowledge of maintenance and minor repairs (iv) Preliminary knowledge of First-aid. Desirable : 3 years experience of driving light/heavy vehicles.		No	Two years.	
11			12		
By direct recruitment		By direct recruitment.			
13			14		
Not applicable.		Not applicable			
1	2	3	4	5	6
17. Medical Assistant	369 *(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'D', Non-Ministerial	Rs. 2,610-60-3,150-65-3,540	Selection-cum seniority	No
7	8		9	10	
Not exceeding 27 years. (Relaxable upto 40 years in case of Govt. servants)	Non-Ex-service Persons (i) Passed 10 + 2 or equivalent examination.		No	Two years.	

2363GI/05-10

8		9		10	
(ii) Undergone a course of Instructions in First-aid from a recognised Institution/St. John's Ambulance.					
(iii) Knowledge of First-aid.					
(iv) Knowledge of Operation Theatre and sterilisation procedure.					
Ex-service Persons :					
Worked as Nursing Assistant in the Armed Forces after passing qualifying test of the Medical Corps.					
Desirable :					
Preliminary working knowledge of computers.					
11		12			
By promotion after adjustment of surplus and absorption failing which by direct recruitment.		By promotion from Ward Sahayak with two years regular service in the grade in Ordnance Factory Organisation. By absorption of persons with qualification in Column 8.			
13		14			
Composition of Group 'D' Departmental Promotion Committee :		Not applicable			
(a) Chief Medical Officer/Principal Medical Officer-in-Charge of Hospital.					
(b) Jt. General Manager/Deputy General Manager/ Works Manager.					
(c) Senior Medical Officer/Assistant Medical Officer.					
1	2	3	4	5	6
18. Ward Sahayak	155* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'D', Non-Ministerial	Rs. 2,550-55-2,660-60-3,200	Selection by suitability	No
7	8	9	10		
Not exceeding 27 years. (Relaxable upto 40 years in case of Govt. servants)	(i) Must pass Class 10 or equivalent examination of School. (ii) Knowledge of First-aid, Nursing and Ward procedure.	No	Two years.		
11		12			
By direct recruitment		By direct recruitment			
13		14			
Not applicable		Not applicable.			

NOTES BELOW SRO

- Note 1 :** The number of posts indicated on Col. 2 in above schedule are all subject to variation dependent on work load.
- Note 2 :** Save where otherwise indicated the age limits under Col. 7 are all relaxable for Government Servants, upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by Government of India.
- Note 3 :** Wherever the words 'adjustment of surplus' occurs in Col. 11 of this schedule it shall mean appointment in public interest by the Management, of persons already holding posts in the same or identical or nearly equivalent scale of pay in any factory or office or anywhere in the Ordnance Factories Organisation whom it is necessary to adjust in the posts in the exigencies of service consequent on the persons or the posts held by them being found surplus by the management.
- Note 4 :** Wherever the word 'absorption' occurs in Col. 11 or Col. 12 of this schedule it shall include transfer in public interest by the Management, of persons (already holding posts in the same or identical or nearly equivalent scale of pay) to posts in factories or offices in the same Station in the Ordnance Factories Organisation and also transfer within the same factory or office at the request of the persons concerned where agreed to by the Management. The transfer in public interest will also include filling of posts by transfer of persons holding posts from which there is no promotion to any other post or grade whether or not such posts are declared equivalent posts and such appointments by transfer may be made prior to filling of posts by direct recruitment.
- Note 5 :** The term 'deputation' shall mean deputation for specified period in accordance with orders of the Government in force from time to time and in the exigencies of service, the Ordnance Factories Board or the General Manager of the Factory may, in the public interest, take suitable persons from outside the Ordnance Factories Organisation on deputation in any of the posts specified in the aforesaid schedule.
- Note 6 :** Wherever 'trade test' is laid down in Col. 12 of this schedule or anywhere else in these rules such trade test shall be prescribed by the General Manager of the Factory or the Ordnance Factories Board. The term 'trade test' will include written, oral and practical examination and aptitude test and interview and any other qualification test including physical standards test and statutory qualification test.
- Note 7 :** Wherever the words 'panel prepared by relevant Departmental Promotion Committee occurs in Col. 11 and recruitment is to be made by selection the words shall mean preparation of panel purely on the basis of merit, by reference to confidential reports and by reference to results of a trade test wherever such trade test is considered by the General Manager of the Factory or Ordnance Factories Board to be desirable in the interest of selection.
- Note 8 :** Promotions indicated in Col. 12 of this schedule will normally be from feeders grade indicated in Col. 12. But where two or more feeder grades are declared to be 'allied grades' by the General Manager of the Factory or Ordnance Factories Board, selection for promotion will be made from common seniority list of eligible persons in the allied grades.
- Note 9 :** The words 'equivalent post' and its variants in these rules will mean any post in the same or identical scale of pay as another post in the same or another name or designation and which posts the Ordnance Factories Board or General Manager of the Factory may declare as equivalent posts and they will be considered to be inter-changeable or stroke(/)appointments.
- Note 10 :** In relation to prescribed qualifications under Column 8 of this schedule the question whether a qualification is equivalent to the prescribed qualification for any post shall be decided by the Ordnance Factories Board.
- Note 11 :** For the purpose of these rules, the Ordnance Factories Board may authorise any Member of the Board or Additional Director General Ordnance Factories to exercise any or all its powers on its behalf and it shall be deemed to have been exercised by the said Board.
- Note 12 :** In these rules the term 'General Manager of the Factory' and its variants shall include Senior General Manager, Additional General Manager and Director of Staff College and heads of other establishments declared by Ordnance Factories Board to be equivalent to General Manager of Factories.
- Note 13 :** Wherever any age limit is laid down in Col. 7 of this schedule the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than from Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit, in each case will be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

- Note 14 :** Wherever any condition of a minimum service is laid down in Col. 12 of this schedule and a junior employee is considered for selection by virtue of his satisfying the said minimum service condition, all persons senior to him who have completed probation period shall also become eligible for consideration for selection notwithstanding that they may not satisfy the said minimum service condition.
- Note 15 :** within the total number of posts in the same scale of pay, addition to and reduction of posts under different designations and names on any scale of pay may be made by Ordnance Factories Board from time to time on the basis of changes in work load and functional requirements.
- Note 16 :** The incumbent of posts in this schedule are liable for service in the any factory or office in the Ordnance Factories Organisation on transfer depending upon the functional requirement and transfer policy guideline framed by the Ordnance Factory Board from time to time.

[F. No. 7(3)/2001/ID(FY.I)]

RAJINDER SOOD, Under Secy.

Footnote : The Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group 'C' and Group 'D' Non-Industrial Posts (Recruitment and Condition of Service) Rules, 1989 were published *vide* S.R.O. 14(E) dated 04-5-1989 and amended *vide* S.R.O. 149 dated 26-7-1991, S.R.O. 70 dated 04-5-1994, S.R.O. 155 dated 06-9-1994, S.R.O. 109 dated 26-6-1999 and S.R.O. 185 dated 12-10-1999.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2005

का.नि.आ. 89.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल आजाद सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, इलाहाबाद में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फ. सं. 19/13/इलाहाबाद/सी/डीई/2001/2214/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 5th August, 2005

S.R.O. 89.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Allahabad by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. Azad Singh.

[F. No. 19/13/Allahabad/C/DE/2001/2214/D(Q&C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2005

का.नि.आ. 90.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, इलाहाबाद ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल ए.के. सिंह को छावनी बोर्ड, इलाहाबाद का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल आजाद सिंह के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फ. सं. 19/13/इलाहाबाद/सी/डीई/2001/2214/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 5th August, 2005

S.R.O. 90.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. A.K. Singh has been nominated as a member of the Cantonment Board, Allahabad by the Station Commander, Allahabad in exercise of the powers conferred under clause (c) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. Azad Singh whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/13/Allahabad/C/DE/2001/2214/D(Q&C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.